ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

CMS NO.-2024/175
सिल नम्बर–13/2024

1. चौथमल उर्फ लक्ष्मी चन्द आयु 34 वर्ष आत्मज श्री रामस्वरूप जाति माली
2. बच्ची उर्फ सरिता बाई आयु 30 वर्ष पुत्री रामस्वरूप पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति माली निवासीगण बाड़ी भीमपुरा संजय नगर कैथून, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–अप्रार्थीगण

–::निर्णय::–

दिनांक 17/1/2025

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र)

उपस्थित–

1. श्री ओमप्रकाश नागर अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं अन्य सह खातेदारान के कब्जे एवं काश्त की आराजी ग्राम भीमपुरा पटवार हल्का धाकड़खेड़ी भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 249 पुराना 236 के खसरा नम्बर 588 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 590 रकबा 0.19 है0 खसरा नं0 591 रकबा 0.20 है0 कुल 3 किता की रकबा 0.56 है0 आराजी स्थित है। वादीगण एवं अन्य सह खातेदारान के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है, वादीगण को उक्त आराजी अपने पिता स्वर्गीय रामस्वरूप जी की मृत्यु के बाद फोती इंतकाल खुलवाये जाने पर प्राप्त हुयी है जो कि पुश्तेनी आराजी है। वादीगण क्रम 1 का उक्त वर्णित आराजी में रामस्वरूप जी की मृत्यु के बाद फोती इंतकाल में नाम दर्ज हुआ जो कि सहवन से लक्ष्मीचन्द के स्थान पर चौथमल आत्मज श्री रामस्वरूप जी का नाम दर्ज कर दिया। एवु वादिनी क्रम 2 का उक्त वर्णित आराजी में पिता रामस्वरूप जी की मृत्यु के बाद फोती इंतकाल में नाम दर्ज हुआ, जो कि सहवन से सरिता बाई के स्थान पर बच्ची पुत्री रामस्वरूप दर्ज कर दिया। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का नाम चौथमल आत्मज रामस्वरूप के स्थान पर लक्ष्मी चन्द आत्मज रामस्वरूप एवं बच्ची पुत्री रामस्वरूप के स्थान पर सरिता बाई पुत्री रामस्वरूप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावें तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो उचित हो वादीगण को दिलावायी जावें।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

र्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गयें।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें सीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित किया कि प्रार्थी चौथमल उर्फ लक्ष्मीचन्द द्वारा बताए अनुसार ाम भीमपुरा के खाता सं0 249 खसरा नं0 588, 590, 591 में वादी का नाम चौथमल पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/225 एवं बच्ची पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/225 दर्ज सामलाती में दर्ज है। उक्त नाम खाते में नामान्तरण संख्या 644 दिनांक 20.09.2010 से मृतक रामस्वरूप पुत्र प्रभुलाल कि विरासत में आए है। प्राप्त जानकारी एवं दस्तावेजो के अनुसार वादी चौथमल का वास्तविक नाम लक्ष्मीचन्द तथा बच्ची का वास्तविक नाम सरिता बाई है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। प्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस के समर्थन में लक्ष्मीचन्द पुत्र रामस्वरूप एवं सरिता बाई पुत्री रामस्वरूप के शपथ पत्र पेश हुये।

उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्टया ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया कि वादी का नाम चौथमल पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/225 एवं बच्ची पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/225 दर्ज सामलाती में दर्ज है। उक्त नाम खाते में नामान्तरण संख्या 644 दिनांक 20.09.2010 से मृतक रामस्वरूप पुत्र प्रभुलाल कि विरासत में आए है। प्राप्त जानकारी एवं दस्तावेजो के अनुसार वादी चौथमल का वास्तविक नाम लक्ष्मीचन्द तथा बच्ची का वास्तविक नाम सरिता बाई है। पत्रवाली में संलग्न दस्तावेजों आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि चौथमल एवं लक्ष्मीचन्द तथा बच्ची एवं सरिता बाई एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भीमपुरा पटवार हल्का धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 249 पुराना 236 के खसरा नम्बर 588 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 590 रकबा 0.19 है0 खसरा नं0 591 रकबा 0.20 है0 कुल 3 किता की रकबा 0.56 है0 में हिस्सा 1/225 में प्रार्थीगण का नाम चौथमल पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर चौथमल उर्फ लक्ष्मीचन्द पुत्र रामस्वरूप एवं बच्ची पुत्री रामस्वरूप के स्थान पर बच्ची उर्फ सरिता बाई पुत्री रामस्वरूप दर्ज किया जावें।

उक्त निर्णय आज दिनांक ...17/1/25... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा